(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाराँ (राज.)

पीठासीन अधिकारी मोहम्मद अबूबक्र (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 218/2020

बउनवान

1. रामकल्याण पुत्र ग्यारसीबाई कुमावत निवासी गगचाना तह0 छीपाबड़ौद जिला बाराँ
2. पूरण पुत्र ग्यारसीबाई कुमावत निवासी गगचाना तह0 छीपाबड़ौद जिला बाराँ
3. जमनाबाई पुत्री ग्यारसीबाई पत्नी रामकिशन कुमावत निवासी मूण्डकिया तह0 छबड़ा
4. इंदिराबाई पुत्री ग्यारसीबाई कुमावत निवासी सावनभादो तह0 सांगोद जिला कोटा

(अपीलांटगण)

बनाम

1. मांगीलाल पुत्र गणेशराम कुमावत निवासी गगचाना तह0 छीपाबड़ौद जिला बाराँ
2. पृथ्वीराज पुत्र धारूसिंह कुमावत निवासी गगचाना तह0 छीपाबड़ौद जिला बाराँ
3. मुकेश आत्मज धारूसिंह कुमावत निवासी गगचाना तह0 छीपाबड़ौद जिला बाराँ
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छीपाबड़ौद जिला बाराँ

(रेस्पोडेन्टगण)

अपील विरूद्ध तहसीलदार छीपाबड़ौद के तस्दीकी इन्तकाल नं. 1298 दिनांक 29.12.2017 वाके ग्राम गगचाना तहसील छीपाबड़ौद के अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :– 1– श्री संजय नागर अभिभाषक (अपीलांटगण)
2– श्री बाबूलाल जैन अभिभाषक (रेस्पो. क्रम 1)
3– श्री गजेन्द्र कुमार नागर अभि0 (रेस्पो. क्रम 2 व 3)
4– पेरोकार सरकार

निर्णय दिनांक 26.02.2021

अपीलांटगण द्वारा जर्ये विद्वान अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबड़ौद के तस्दीकी इन्तकाल नं. 1298 दिनांक 29.12.2017 वाके ग्राम गगचाना तहसील छीपाबड़ौद से अप्रसन्न होकर अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्टगण के इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 25.08.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय से मूल इन्तकाल तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन्तकाल की प्रतिलिपि इस न्यायालय में भिजवायी गयी। प्रकरण मे रेस्पोडेन्ट क्रम 1 द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई, जो शामिल पत्रावली की गई। प्रकरण में उभयपक्ष की अन्तिम बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2021.04.10 15:15:13 IST
Reason: SelfAttested

अपीलांटगण के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम गगचाना तहसील छीपाबड़ौद में स्थित भूमि कुल किता 6 कुल रकबा 15 बीघा 19 बिस्वा आराजी स्थित है, जो गणेशराम जी के नाम राजस्व रिकार्ड में

दर्ज थी। गणेशराम जी के स्वर्गवास के बाद अपीलांटगण की मां ग्यारसीबाई पुत्री गणेशराम के नाम इंतकाल क्रमांक 1298 दिनांक 29.12.2017 से तस्दीक किया गया। अपीलांटगण मृतका ग्यारसीबाई के प्रथम श्रेणी के वारिसान है जो वर्णित आराजी में निहित हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे है। इस वसीयत के गवाह रेस्पो0 क्रम 1 के नजदीकी व्यक्ति है जिन्होंने मृतका के मरने के बाद रेस्पो0 क्रम 1 के साथ षड्यन्त्र रचकर उसे लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से वसीयत तैयार की है जिसके सम्बन्ध में अपीलांटगण द्वारा थाना छीपाबड़ौद में अन्तर्गत धारा 467, 468, 471, 420 आईपीसी का प्रकरण दर्ज करवाया। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी द्वारा दर्ज किये गये बयानात व योग्य अधी0 न्यायालय में दर्ज करवाये गये बयानात में काफी विरोधाभास है। रेस्पो0 क्रम 1 का कथन है कि मृतका ग्यारसीबाई द्वारा वर्णित आराजी की दिनांक 04.04.2014 को वसीयत आलेखित करने से नाम दर्ज किए जाने योग्य है। उक्त अपील में योग्य अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबड़ौद द्वारा वसीयत की वैधानिकता की बिना जाँच किये उक्त निर्णय पारित किया है। अधी0 न्यायालय ने क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार से बाहर जाकर वसीयत के सम्बन्ध में आदेश प्रदान किया है जबकि भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत अधी0 न्यायालय को वसीयत की गुणावगुण पर जाँच किये जाने के अधिकार प्राप्त नहीं है।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांटगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 29.12.2017 निरस्त फरमाया जावें।

इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट क्रम 1 के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि इंतकाल नं0 1298 दिनांक 19.12.2017 के आदेश से खोला गया है और दिनांक 29.12.2017 को तस्दीक हुआ है। यह अपील दिनांक 21.08.2020 को पेश की गई है, जो 960 दिन बाद पेश की गई है। जो मियाद बाहर है। यह अपील 135 एल.आर.एक्ट के तहत पेश की गई है जो धारा 75 एल.आर.एक्ट के तहत होती है। इसकी परिसीमा धारा 78 एल.आर.एक्ट में दी है जो 30 दिन है। क्योंकि अपील मियाद बाहर है, इसको मियाद में लेने के लिये कोई उचित कारण नहीं बताया है।

यह इंतकाल उपखण्ड अधिकारी, छीपाबड़ौद के प्रकरण संख्या 04/2016 के निर्णय दिनांक 09.11.2016 जो इंतकाल नं0 1162 ग्राम गगचाना को खोला गया था, के विरूद्ध पेश किया है। एस.डी.ओ. ने निर्णय किया तथा एस.डी.ओ. ने प्रकरण रिमाण्ड किया था तथा दिनांक 09.11.2016 के पूर्व में एक अपील रामकल्याण ने अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, कोटा में की थी जो प्रकरण सं0 160/2016 पर दर्ज हुई। जिसका निर्णय दिनांक 27.04.2015 को हुआ तथा संभागीय आयुक्त ने एस.डी.ओ. के निर्णय दिनांक 09.11.2016 को बहाल रखा था। इसी संदर्भ में यह भी निवेदन है कि तहसीलदार ने जो निर्णय किया, वह दोनों पक्षों के बयान लेकर किया है तथा इसकी अपील 135(2) एल.आर.एक्ट के तहत अति0 संभागीय आयुक्त को होती है। क्योंकि इंतकाल खोलने का आदेश दोनों पक्षों को सुनकर दिया गया है तथा यह इंतकाल विवादित हो गया है। विवादित इंतकाल की अपील [illegible] एल.आर.एक्ट के तहत डायरेक्टर लेण्ड रिकार्ड के यहां होती है जो संभागीय आयुक्त [illegible] कि कलक्टर। इस पर आर.आर.डी. 1989 पेज 266 दया भारती बनाम [illegible] भारती का [illegible]त है तथा आर.आर.डी. 1989 पेज 340 देवीलाल बनाम जितेन्द्र में भी 135(1), 135(2) एल.आर.एक्ट के तहत बताया गया है। इसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि ऐसी अपील क[illegible]र नहीं सुन सकते।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2021.04.10 16:15:13 IST
Reason: SelfAttested

विवादित भूमि ग्यारसी बाई की थी तथा उसने वसीयत मांगीलाल के पक्ष में की है तथा ग्यारसी बाई को मिली सम्पत्ति पर उसका असीमित अधिकार था तथा वह अपनी सम्पत्ति की पूर्ण स्वामिनी थी। इस कारण धारा 14(1) हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उसको वसीयत करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त था। इस पर आर.आर.डी. 2007 पेज 375 योगेन्द्र सिंह बनाम बीकर सिंह व 2009(2) आर.आर.टी. पेज 1117 उच्चतम न्यायालय ओमप्रकाश बनाम राधाचरण, 2009(2) आर.आर.टी. पेज 1367 उच्चतम न्यायालय गंगा मां बनाम नागर्थम्मा में भी यही बताया है कि उसको जो भूमि वसीयत में मिली, उसको वह वसीयत कर सकती थी। अतएव जो इंतकाल खोला गया है, वह सहीं है। अतः निवेदन है कि अपील खारिज फरमायी जावें।

रेस्पोडेन्ट क्रम 2 व 3 के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबड़ौद द्वारा खोला गया इंतकाल नं0 1298 दिनांक 29.12.2017 वाके ग्राम गगचाना तहसील छीपाबड़ौद नियमानुसार सही खोला गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है। अपीलांटगण द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत अपील खारिज फरमायी जावें।

मेरे द्वारा प्रकरण में उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात पर मनन/विश्लेषण किया गया। प्रकरण में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छीपाबड़ौद में इंतकाल नंबर 1162 दिनांक 20.12.2014 ग्राम गगचाना तहसील छीपाबड़ौद की अपील, अपीलांट मांगीलाल पुत्र गणेशराम द्वारा रेस्पोडेन्टगण के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। जिसको प्रकरण सं0 04/2016 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर निर्णय दिनांक 09.11.2016 को पारित किया गया कि इन्तकाल नं0 1162 दिनांक 20.12.2014 ग्राम गगचाना निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार, छीपाबड़ौद को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह दोनों पक्षों को सुनकर वसीयत की वैधानिकता की जाँच कर नियमानुसार पुनः नामान्तरण की कार्यवाही करें। जिसकी अपील न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त, कोटा संभाग में रेस्पोडेन्टगण द्वारा प्रस्तुत की गई। माननीय न्यायालय द्वारा अपील प्रकरण संख्या 160/2016 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, उनके निर्णय दिनांक 27.04.2017 से अपील खारिज की गई। प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी, छीपाबड़ौद द्वारा पारित निर्णय की पालना में तहसीलदार, छीपाबड़ौद द्वारा दोनों पक्षों को सुना जाकर दिनांक 21.12.2017 को निर्णय पारित किया गया। परिणामस्वरूप अपीलांटगण द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

(मोहम्मद अबूबक्र)
अति0 जिला कलक्टर, बारॉ

Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2021.04.10 15:15:13 IST
Reason: SelfAttested